न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 63/2010 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक :– 10.06.2010

1. श्री सोहनलाल कोठारी पिता स्व. जोरावरमल जी कोठारी जाति महाजन आयु करीब 68 वर्ष निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्री रंगलाल कोठारी पिता स्व. जोरावरमल जी कोठारी जाति महाजन आयु करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्री खुबीलाल कोठारी पिता स्व. जोरावरमल जी कोठारी जाति महाजन आयु करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्री भंवरलाल जी कोठारी के बजाय बाबुलाल कोठारी पिता श्री भंवरलाल कोठारी जाति महाजन आयु करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भूरालाल ईटोदिया पिता श्री मगनलाल जी ईटोदिया जाति महाजन आयु वयस्क निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2. श्री मेघराज ईटोदिया पिता श्री मगनलाल जी ईटोदिया जाति महाजन आयु वयस्क निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

   श्री नंदलाल ईटोदिया के बजायः–
3. श्री देवीलाल ईटोदिया पिता श्री नन्दलाल जी ईटोदिया जाति महाजन आयु वयस्क निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्री प्रकाश ईटोदिया पिता श्री नन्दलाल जी ईटोदिया जाति महाजन आयु वयस्क निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती ज्योतिबाई ईटोदिया धर्मपत्नी श्री नन्दलाल जी ईटोदिया जाति महाजन आयु वयस्क निवासी ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
6. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : – श्री प्रदीप पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री ईश्वर सिंह सामोता अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 5

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

: : <u>आदेश</u> : :

दिनांक :– 08.04.2019

प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा की खाता सं. 449 आराजी सं. 2631 रकबा 0–17 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित आराजी सं. मे से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियो ने विपक्षीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियो से दिनांक 02.04.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 0–01–10 बीघा यानि एक बिस्वा दस बिस्वांशी जमीन खरीदी जिसकी लम्बाई 25 गुणित 75 फीट एवं 28 गुणित 75 फीट के करीब होकर पडोस इस प्रकार है:– पूर्व विपक्षीगण विक्रेतागण का बाकी बचा हुआ हिस्सा पश्चिम:– क्रेतागण का बाडा जहां पर क्रेतागण के मकान बने हुए है। उत्तर:– उदयलाल जी बोहरा महाजन का बाडा दक्षिण:– खेतो मे आने–जाने का बाडा जिसे हेर कहते है। उक्त जमीन पर विक्रेता विपक्षीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियो ने क्रेता प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियो को वक्त रजिस्ट्री के समय यानि दिनांक 2.04.1980 को कब्जा आधिपत्य दे दिया तब से उक्त वर्णित भूमि का उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध आज दिन तक करते आ रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे अंकन नही करा सके इसलिये उक्त विक्रय की गई जमीन अभी भी विपक्षीगण विक्रेताओ के नाम पर ही गलत खातेदारी मे दर्ज है। और चूंकि अभी जमीन की कीमत बढ गई है इसलिये विपक्षीगण विक्रेताओ के फितुर पैदा हो गया है और उक्त जमीन को वापस प्रार्थीगण क्रेताओं से हडपना चाहते है। विपक्षीगण द्वारा उक्त जमीन को हडपने के प्रछन्न से दिनांक 20.05.2010 को प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मे लडाई–झगडा होकर पुलिस थाना खमनोर मे आपस मे प्रकरण दर्ज होकर पुलिस थाना खमनोर मे विचाराधीन है। प्रार्थीगण उक्त जमीन विपक्षीगण के नाम खाते को हटवाकर अपने नाम घोषित करा खातेदारी दर्ज कराने, इन्द्राज दुरूस्ती कराने के अधिकारी है और इसी प्रकार अधिक मेट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे है ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो विपक्षीगण विवादग्रस्त भूमि उनके खाते मे गलत अंकन का लाभ उठाकर अन्य संक्रमित हस्तान्तरित कर देते है अथवा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग मे दखलअंदाजी पैदा करते है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसका अंकन अर्थ मे किया जाना सम्भव नही होगा जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित होने वाली नही है। इसलिये प्रार्थीगण ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ता फैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि विपक्षीगण दौराने वाद विवादग्रस्त भूमि किसी अन्य को किसी प्रकार से अन्य संक्रमित, हस्तान्तरित विक्रय नही करे न करावे और नही प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा रूकावट दखलअंदाजी न

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

स्वंय पैदा रे न अन्य से करावे। और विपक्षी तहसीलदार साहब से ऐसे किसी भी दस्तावेज के आधार पर कोई नामान्तरण अथवा दस्तावेज पंजीयन न करे न करावे। यदि दौराने वाद ऐसा कर देवे तो स्थिति पुनः यथावत बहाल फरमाये जाने की आदेशात्मक आज्ञा प्रचलित फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार कर कथन किया कि अधिनियम की धारा 42 एवं स्वर्गीय मगनलाल जी ईटोदिया के ओर भी वारिसानो द्वारा विक्रय नही किया गया। अतः ऐसा विक्रय विलेख प्रभावहीन होकर शून्यकरण है। प्रार्थीगण को कोई कब्जा सुपुर्द नही किया गया किन्तु विक्रय भूखण्ड पर प्रार्थीगण ने बगैर कृषि भूमि से अकृषि भूमि मे परिवर्तित कराये बगैर वैद्य स्वीकृति के मकान बना दिया गया इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि विक्रित भूखण्ड का वैसा ही उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है मिथ्या है। वहा भूमि न होकर वर्तमान मे मकान है। विक्रय आराजीयात कानूनन गलत विक्रय होने से राजस्व अभिलेखो मे दर्ज नही हो सकती। वादकारण जो उक्त दिनांक को बताया पक्षकारो के मध्य कोई झगडा नही हुआ। बिना स्वीकृति के वादग्रस्त भूमि पर मकान बना दिया इस सम्बन्ध मे एक वाद सिविल न्यायालय मे भी विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खातेदारी दर्ज कराने इन्द्राज दुरूस्ती कराने व मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन के आधार पर किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे नही है। प्रार्थीगण ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे परिवर्तित कराये बगैर उस पर मकान निर्मित कर दिया इस कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 एवं 91 के अन्तर्गत ध्वस्त कर भूमि राज्य सरकार द्वारा जब्त कराये जाने योग्य है। मगनलाल जी के स्वर्गवास उपरान्त उनके समस्त पुत्र पुत्रिया एवं पत्नी उनके वैध उत्तराधिकारियो एव प्रतिनिधि उन्हे वादग्रस्त आराजी को मा उनके पुत्रो द्वारा ही विक्रय किया गया है। अतः ऐसा विक्रय विलेख कानूनन गलत होकर प्रभावहीन है। प्रार्थीगण स्वंय ने इस भूमि को आबादी की मानकर विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद सिविल जज कनिष्ठ खण्ड न्यायालय नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 18.12.2001 को पेश किया जिसके मुकदमा नं. 153/2001 ई.दी. होकर प्रार्थीगण ने इस सम्पत्ति को क्षेत्राधिकार दिवानी न्यायालय का माना है। ऐसी अवस्था मे जो प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रथम दृष्टया ही आबादी की भूमि होने से वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होकर आदेश 7 नियम 11 (3) सी.पी.सी. के तहत निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता पक्षकारन की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> :– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम मोलेला तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत 2063–66 की खाता सं. 449 आराजी सं. 2631 रकबा 0–17 बीघा मे नन्दलाल भुरीलाल मेगराज पिता मगनलाल महाजन खातेदार होना प्रकट होता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति दिनांक 02.04.1980 के अवलोकन से नन्दलाल, भूरालाल, मेघराज पिता श्री मगनलालजी जाति इटोदिया महाजन ने अपने स्वामित्व की राजस्व ग्राम मोलेला की आराजी सं. 2631 रकबा 0–17 बीघा मे से 0–01–10 बीघा जमीन श्री भंवरलाल, सोहनलाल, रंगलाल, खुबीलाल पिता जोरावरमलजी जाति कोठारी को विक्रय करना साबित होता है।

जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का भी हक अधिकार निहित होना प्रकट होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

<u>सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति</u> :– प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थीगण का नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने हिस्से का राजस्व रेकार्ड मे अंकन नही होने से अप्रार्थी द्वारा बेचान–हस्तान्तरण किये जाने से अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होगी जिसका आकलन अर्थ मे संभव नही है। प्रार्थी के वादग्रस्त आराजीयात मे हक–अधिकार मूल वाद मे तय होगें परन्तु सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश सुनाया जाता है:–

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वयं न करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **08.04.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner